महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–2720/9–1–16–119सा/14

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी
   उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त,
   नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनु0–1 लखनऊः दिनॉक 31 दिसम्बर, 2021

विषयः– स्थानीय निकायों/जल संस्थानों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3412/9–1–16–119सा/14 दिनांक 03.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–44/2015/वे0आ0–2–795/दस–54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 13.08.2015 एवं उक्त क्रम में जारी शासनादेश संख्या–9/2016/वे0आ0– 2–201/दस–2016–8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0 दिनांक 24.02.2016 तथा कार्मिक अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या–9/2016/2/1/97–क/2016 दिनांक 12.09.2016 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 की व्यवस्था को नगरीय स्थानीय निकायों/जलसंस्थानों के कार्मिकों पर अनुमन्य किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 24.02.2021 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2001 तक विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में दैनिक वेतन, वर्क चार्ज एवं संविदा के आधार पर नियुक्त किये जा चुके ऐसे कार्मिकों जो वर्तमान में उसी स्वरूप में कार्यरत है तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग/संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एवं रिक्तियां न होने पर यथा आवश्यकता अधिसंख्य पद सृजित करते

G.O.V

हुए उनके सापेक्ष कतिपय शर्तो के अधीन तत्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

4. प्रायः यह देखा जा रहा है कि निकायों में पद रिक्त होने एवं निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के बावजूद भी निकायों द्वारा दैनिक वेतन/संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नही की जा रही है, जो अत्यन्त खेदजनक है।

5. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि निकायों में पद रिक्त है एवं दैनिक वेतन/संविदा/वर्कचार्ज पर कार्यरत कार्मिक, वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24.02.2016 एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत विनियमितीकरण नियमावली 2016 में निर्धारित शर्तो की पूर्ति करता है, तो ऐसे कार्मिकों के संबंध में विनियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 02 दिन के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

सख्या– 2720 (1)/9–1–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जलसंस्थान उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

31/12/21

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

G.O.V